जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि. / प्र.नि. / मु.अ.(मु.) / अ.अ.(आर.ए.–सी.) / फा / प्रे. 3808 दि. 14.01.13

स्पष्टीकरण आदेश

विषयः आबादी क्षेत्र में कनेक्शन देने बाबत् (कृषि कनेक्शन के अलावा)।

क्षेत्र अधिकारियों द्वारा संदेह किया गया है कि परिसर जहां आवेदक के पास स्थानीय निकाय अथवा अन्य किसी सरकारी अधिकारी द्वारा जारी "पट्टा" नहीं है से स्वामित्व के सबूत के समर्थन में क्या दस्तावेज लिए जाए।

विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबंधन 2004 में निर्धारित "पूर्ण किए गए आवेदन पत्र की जांच सूची" प्रावधानों के अनुसार निम्न दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को परिसर के स्वामित्व के सबूत के समर्थन में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(i) शीर्षक विलेख रजिस्ट्री।
(ii) स्थानीय निकाय या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण जैसे रीको, उद्योग विभाग द्वारा जारी आवंटन / कब्जा पत्र।
(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
(iv) बंधक विलेख
(v) पट्टा
(vi) विक्रय विलेख
(vii) आवंटन पत्र
(viii) न्यायालय आदेश
(ix) कोई अन्य प्रलेख

उपरोक्त के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वामित्व के सबूत के समर्थन के मामले में आवेदक के पास परिसर का पट्टा नहीं होने की स्थिति में उसे इसके लिए बाध्य नहीं किया जाए और परिसर के स्वामित्व के समर्थन के रूप में एक हलफनामा, विधिवत् नोटेरी द्वारा प्रमाणित और राजस्व प्राधिकारी / ग्राम सेवक से सत्यापित लिया जावे ताकि आवेदक विद्युत कनेक्शन से वंचित नहीं रह सके।

आज्ञा से

(हस्ताक्षर)

(पी.एम. खत्री)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

नोट : यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट www.jdvvnl.com पर भी उपलब्ध है।